



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक /1-2 /एस0एल0एन0ए0/बजट/2013-14 दिनांक: २२, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग चम्पावत
जिला चम्पावत।

विषय—संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Chambawat	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	11.05596	8.89284	2.16312	6.83688

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non-Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non-Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non-Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non-Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non-Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

/

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 560/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU चम्पावत जिला-चम्पावत ।

2-कार्यदायी संस्था जनपद चम्पावत ।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाइट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 2543/1-2 /एस0एल0एन0ए0/बजट/2013-14 दिनांक: 22 जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/प्रभागीय वनाधिकारी,
अलकनन्द भूमि संरक्षण प्रभाग, गोपेश्वर चमोली
जिला- चमोली।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Chamoli	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	11.77807	7.12603	4.65204	4.34796

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2543/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU चमोली जिला-चमोली ।

2-कार्यदायी संस्था जनपद चमोली ।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

वस



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई:मेल : uttarakhandsna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 22, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/मुख्य कृषि अधिकारी
निरंजनपुर मण्डी, देहरादून।
जिला - देहरादून।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Dehradun	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	12.41232	9.35846	3.05386	5.94614

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आंवटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आंवटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 हे० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ, लेखाकार, व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक सहायक लेखाकार, एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2541/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU देहरादून जिला—देहरादून।

2—कार्यदायी संस्था जनपद देहरादून।

3—प्रोग्रामर, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरैस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन न०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स न०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 2539 / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 22 जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी डैम- I, वन प्रभाग, नई टिहरी
जिला - जिला टिहरी गढ़वाल।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Tehri	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	11.80209	9.33136	2.47073	6.52927

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति अपनपे स्तर से करना सुनिश्चित करें जिनका मासिक परिलब्धि अधिकतम क्रमसःरूपये 25000.00,रू० 8000.00,व रू०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conseravation/forestry/Dryland Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MSWORD-Execel. की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2532/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU टिहरी, जिला टिहरी।

2-कार्यदायी संस्था जनपद टिहरी।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक /1-2 /एस0एल0एन0ए0/बजट/2013-14 दिनांक: ११ जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पौड़ी
जिला-पौड़ी गढ़वाल।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Pauri	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	12.64218	7.80738	4.83480	4.16520

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति अपनपे स्तर से करना सुनिश्चित करें जिनका मासिक परिलब्धि अधिकतम कमसःरूपये 25000.00,रू० 8000.00,व रू०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conseravation/forestry/Dryland Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MSWORD-Execl. की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2531 / 1-2 / बजट / 2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU पौडी, जिला-पौडी।

2-कार्यदायी संस्था जनपद पौडी।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी
जलाम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 2549/1-2 /एस0एल0एन0ए0/बजट/2013-14 दिनांक: 22, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/मुख्य कृषि अधिकारी
विकास भवन नैनीताल।
जिला-नैनीताल।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Nainital	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	10.53555	5.95644	4.57911	4.42089

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 हे० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ, लेखाकार, व डेटा इन्ट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक सहायक लेखाकार, एक डेटा इन्ट्री ऑपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

शिवदीया,
(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2549/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU नैनीताल जिला-नैनीताल।

2-कार्यदायी संस्था जनपद नैनीताल।

3-प्रोग्रामर, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाइट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

9



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandsna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 22, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/मुख्य कृषि अधिकारी
विकास भवन हरिद्वार,
जिला-हरिद्वार।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Haridwar	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	13.02019	9.96909	3.05110	5.94890

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त व्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से व्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त व्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति अपनपे स्तर से करना सुनिश्चित करें जिनका मासिक परिलब्धि अधिकतम कमसःरूपये 25000.00,रू० 8000.00,व रू०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conseravation/forestry/Dryland Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MSWORD-Execl. की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2537/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU हरिद्वार, जिला-हरिद्वार।

2-कार्यदायी संस्था जनपद हरिद्वार।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandsina@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक / 1-2 / एस०एल०एन०ए० / बजट / 2013-14 दिनांक: १२, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/मुख्य कृषि अधिकारी
विकास भवन रुद्रप्रयाग,
जिला -रुद्रप्रयाग।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Rudraprayag	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	12.65398	7.69212	4.96186	4.03814

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रों के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंको से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,



(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक: 2538/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, वैड्ड- रुद्रप्रयाग, जिला-रुद्रप्रयाग।

2- कार्यदायी संस्था जनपद रुद्रप्रयाग।

3- प्रोग्रामर, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट

पर अंकित करने हेतु।



(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandsna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक /1-2 /एस0एल0एन0ए0/बजट/2013-14 दिनांक: 22, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/मुख्य कृषि अधिकारी
विकास भवन, उधमसिंह नगर
जिला उधमसिंहनगर।

विषय—संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
US Nagar	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	12.71113	11.43767	1.27346	7.72654

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति अपनपे स्तर से करना सुनिश्चित करें जिनका मासिक परिलब्धि अधिकतम कमसःरूपये 25000.00,रू० 8000.00,व रू०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conservation/forestry/Dryland Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MSWORD-Execel. की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2535/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU उधमसिंहनगर जिला उधमसिंह नगर ।

2-कार्यदायी संस्था जनपद उधमसिंहनगर ।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandsina@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 22, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/उप परियोजना निदेशक
यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, गंगोलीहाट प्रभाग, पिथौरागढ़,
जिला पिथौरागढ़।

विषय—संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Pithoragarh	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	11.78144	8.00987	3.77157	5.22843

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,



(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2539/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU पिथौरागढ़ जिला-पिथौरागढ़ ।

2-कार्यदायी संस्था जनपद पिथौरागढ़।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी





कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाइट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 29, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
जिला बागेश्वर।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Bageshwar	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	13.29397	13.27285	0.02112	8.97888

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non-Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non-Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non-Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non-Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non-Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें जिनका मासिक परिलब्धि अधिकतम कमसःरूपये 25000.00,रू० 8000.00,व रू०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conseravation/forestry/Dryland Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MS,WORD-Execel. की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

/

(नीना प्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2536 / 1-2 / बजट / 2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU बागेश्वर, जिला बागेश्वर।

2—कार्यदायी संस्था जनपद बागेश्वर।

3—प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना प्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 2533 / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 22, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा
ज़िला अल्मोड़ा।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Almora	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	11.07995	9.43287	1.64708	7.35292

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non-Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामग्री की आवश्यकता हो तो सामग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री ऑपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति अपनपे स्तर से करना सुनिश्चित करें जिसका मासिक परिलब्धि अधिकतम कमसे-कमरूपये 25000.00,रु० 8000.00,व रु०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conservation/forestry/Dryland Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MS-ExecI.WORD की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 2533 / 1-2 / बजट / 2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU अल्मोडा, जिला अल्मोडा।

2-कार्यदायी संस्था जनपद अल्मोडा।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई:मेल : uttarakhandsna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक / 1-2 / एस0एल0एन0ए0 / बजट / 2013-14 दिनांक: 29, जून, 2013

सेवा में,

सदस्य सचिव (DWPMU)/प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी डैम- II, वन प्रभाग, उत्तरकाशी
जिला - उत्तरकाशी।

विषय-संस्थागत कोष के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली, द्वारा अपने पत्र संख्या K-11012/22/2009/IWMP (IS) दिनांक 03.06.2013 से संस्थागत कोष के अन्तर्गत माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका आवंटन आपको निम्न प्रकार किया जा रहा है।

Name of Districts	Amount (Rs. in Lakhs) for Full financial Year 2013-14			Total	Unspent Balance as on 01.04.2013			Net Amount to be Released
	Pay	T.A.	O.E.		Total Released	Expt. Upto March 2013	Balance (Including Interest Upto March 2013)	
Uttarkashi	5.20000	1.00000	2.80000	9.00000	10.84552	8.85342	1.99210	7.00790

1. इस कार्यालय द्वारा आपको माह मार्च 2011 में संस्थागत कोष के अन्तर्गत Recurring Or Non- Recurring मद में बजट आवंटित किया गया था, तीन साल व्यतीत होने के पश्चात भी आप द्वारा Non- Recurring मद में व्यय नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा आपके पास दिनांक 1-4-2013 को Unspent Balance धनराशि को केन्द्रांश के रूप में समायोजित कर धनराशि आवंटित की गयी है। Non- Recurring मद के अन्तर्गत आप द्वारा अब कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
2. यदि आपको Non- Recurring मद के अन्तर्गत किसी सामाग्री की आवश्यकता हो तो सामाग्री का नाम एवं अनुमानित धनराशि का आंकलन कर इस निदेशाल को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार से पृथक रूप में जिलेवार Non- Recurring मद के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जा सके, धनराशि प्राप्त होने पर ही व्यय किया जाना सम्भव होगा।

3. आवंटित धनराशि का उपयोग मदवार ही किया जाय। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से पहले वेतन का भुगतान कर तत्पश्चात अन्य मदों में अनुपात के हिसाब से व्यय किया जाय।
4. माह मार्च 2013 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में समायोजित किया गया है। माह अप्रैल 2013 से ब्याज की गणना बैंकों से प्राप्त कर पृथक से की जाय तथा MPR में Interest accrued के कालम में स्पष्ट रूप से माह मार्च 2013 के उपरान्त ब्याज अंकित किया जाय।
5. संस्थागत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि जनपद में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक हो तो वे जनपद WCDC में पूर्व में तैनात तकनीकी विशेषज्ञ,लेखाकार,व डेटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर कर सकते हैं।
6. आपके जनपद की स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रफल 25000 है० से अधिक है एवं आप सर्विस प्रदाता (Service-Provider) के माध्यम से एक तकनीकी विशेषज्ञ,एक सहायक लेखाकार,तथा एक डेटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति अपनपे स्तर से करना सुनिश्चित करें जिनका मासिक परिलब्धि अधिकतम कमसःरूपये 25000.00,रू० 8000.00,व रू०7500.00 प्रतिमाह देय होगा।
7. नियमानुसार नियुक्ति के पश्चात इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें जिससे नियुक्त किये गये कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि आपको आवंटित की जा सके।
8. तकनीकी विशेषज्ञ हेतु आवश्यक योग्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार Professional Qualification of the Technical Experts Should be minimum of Bachelor Degree in the fields of Agriculture / Horticulture / Hydrological / Soil Engineering and Animal Husbandry with good academic record.Higher qualification such as,Master Degree in respective fields with good grades and added qualification will be preferred.The candidate should have at least five years field/research experience in the fields of soil and water conseravation/forestry/Dryland, Agriculture/Horticulture/ Water shed management or related fields like assessment,management and mitigation of droughts,climatic and other associated risks,crop husbandry,crop specific technologies,horticultural practices,livelihoods, animal husbandry etc.
9. सहायक लेखाकार हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वी०काम० उत्तीर्ण एवं लेखा सम्बन्धी अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है।

10. डेटाइन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम से कम 6 माह का कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं उसे हिन्दी,अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान हो तथा MSWORD-Execel.की पूर्ण जानकारी हो।

उपरोक्तानुसार मदवार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

पत्रांक 25 34/1-2/बजट/2013-2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, DWPMU उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी।

2-कार्यदायी संस्था जनपद उत्तरकाशी।

3-प्रोग्रामर,राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी,जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी